

झारखंड की जनजातियों की अधिकारों के लिये लड़ाई

चर्चा में क्यों?

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिये, राजनीतिक दलों ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** लागू करने की योजना की घोषणा की, लेकिन आश्वासन दिया कि आदिवासी समुदायों को इसके प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा और उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया।

- झारखंड के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके संघर्षों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को जन्म दिया है।

मुख्य बूटि


- झारखंड में ब्रिटिश नियंत्रण और आदिवासी प्रतिरोध:
 - भौगोलिक संदर्भ: झारखंड, जो मुख्य रूप से पूर्वी भारत में **छोटा नागपुर पठार** पर स्थित है, 1765 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया जब मुगलों ने अंगरेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर **दीवानी अधिकार** प्रदान किये, जिससे उन्हें राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई।
 - जनजातीय नविसी: झारखंड के पठारी क्षेत्र में लंबे समय से मुंडा, **संथाल, उरांव, हो (HO)** और बरिहोर जैसी जनजातियाँ नविस करती रही हैं, जिनमें से आधे से अधिक जनजातीय श्रमिकों की प्राथमिक आजीविका कृषि है, जो राष्ट्रीय **अनुसूचित जनजाति** औसत 44.7% से अधिक है।
- औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातीय विद्रोह:
 - अंगरेजों ने वाणिज्यिक कृषि और **खनन** की शुरुआत की, जिससे कई जनजातियों को उनकी भूमि से बेदखल होना पड़ा। इस शोषण के कारण आदिवासी नेताओं ने अपने अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिये आंदोलन आयोजित किये।
 - विद्वान राम दयाल मुंडा और बंशेश्वर प्रसाद केशरी ने 1769-93 को प्रतिरोध का प्रारंभिक चरण बताया, जिसके बाद के दशक में खुले विद्रोह का दौर आया।

प्रमुख जनजातीय विद्रोह:

- ढाल विद्रोह (1767-1777):
 - नेता: धालभूम (अब पश्चिम बंगाल में) के पूर्व राजा **जगन्नाथ ढाल** ने ब्रिटिश घुसपैठ के विरुद्ध पहले महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया।
 - ब्रिटिश प्रतिक्रिया: विद्रोह 10 वर्षों तक चला, जिसके कारण अंगरेजों को 1777 में ढाल को पुनः शासक के रूप में बहाल करना पड़ा। इस विद्रोह ने नरंतर जनजातीय प्रतिरोध की शुरुआत को चिह्नित किया।
- मुंडा विद्रोह (1899-1900):
 - नेता: **बरिसा मुंडा** के नेतृत्व में विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को उखाड़ फेंकना, बाहरी लोगों को बाहर निकालना और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था।
 - उद्देश्य और रणनीति: मुंडाओं ने **गुरलिला रणनीति** अपनाई और औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों और मशिनरियों को नशाना बनाया।
 - परिणाम: बरिसा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन विद्रोह ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और बरिसा को मुंडाओं के बीच एक नायक के रूप में मनाया गया।
- ताना भगत आंदोलन (1914):
 - संस्थापक: **उरांव जनजाति के जतरा भगत** ने पारंपरिक प्रथाओं की ओर लौटने का आह्वान किया और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लगे-मुक़्त अभियान चलाया।
 - गठबंधन: ताना भगत क्रांतिकारी कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गए और **सत्याग्रह, असहयोग और सवनीय अवज्ञा आंदोलनों** में भाग लिया।
 - वरिसत: इस आंदोलन ने अहसा और सामूहिक कार्रवाई के विचारों को प्रस्तुत किया, जिसने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया।
- झारखंड आंदोलन और राज्य का दर्जा:
 - 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में झारखंड की पहचान का पुनर्गठन हुआ, जिसमें अखिल झारखंड छात्र संघ (1986) और झारखंड

समन्वय समिति(1987) का गठन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड आंदोलन और अंततः 2000 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
 ○ झारखंड आंदोलन ने 200 वर्षों में झारखंड की संस्कृति के क्रमिक वधितन को उजागर किया, खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान।
 आज, आदिवासी समुदाय भूमि विवाद, कम साक्षरता दर, गरीबी और औद्योगिक विकास के बीच शोषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत में प्रमुख जनजातियाँ



- अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है (जनगणना 2011)। मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियाँ दर्ज हैं।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक असुरक्षित/सुभेद्य हैं। 75 सूचीबद्ध PVTGs में से सबसे अधिक संख्या ओरिशा में पाई जाती है।
- गोंड के बाद भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह (भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38% है)।
- भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है (जनगणना 2011)।
- संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संथालों की शासन प्रणाली, जिसे मांडी-परगना के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।